Witness No. 02 For आवेदक साक्ष्य Deposition taken

the 19/06/2026 day of शुक्रवार Witness's apparent age 30 साल

States on affirmation .शपथ पूर्वक. my name is डोमन साहू

Son of सतधारी साहू occupation पेंटिंग पुट्टी

address ग्राम–खिलोरा, थाना–हथबंद, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री सुनीत साहू अधिवक्ता वास्ते आवेदकगण

01. मैं आवेदिकागण को जानता हूँ । आवेदिकागण मेरे रिश्तेदार हैं । घटना दिनांक 27.03.2025 को सुबह लगभग 06.00 बजे की है ।

02. घटना दिनांक को मैं रावाभाठा से अपने कार्य देखने सिलतरा की ओर अपनी मोटरसायकल से जा रहा था तभी मैं दिलबाग ढाबा के पास ग्राम सांकरा पहुंचा था तभी वाहन ट्रक क्रमांक CG–24 F–8978 का चालक अपने वाहन ट्रक को विपरीत दिशा से तेज लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मृतक सुरेश कुमार साहू के मोटरसायकल को ठोकर मार दिया ।

03. उक्त घटना से मृतक सुरेश कुमार साहू के शरीर पर ट्रक का पहिया चढ़ गया था तथा आहत शिवकुमारी साहू के दोनो पैर के उपर ट्रक का पहिया चढ़ गया था । मृतक और आहत को घसीटते हुए ट्रक चालक ले गया था । घटना स्थल पर ही मृतक की मृत्यु हो गयी थी एवं आहत को आयी चोंट के लिये शासकीय अस्पताल रायपुर ले गया था । उक्त घटना की रिपोर्ट मेरे द्वारा सिलतरा चौकी में दर्ज कराया गया था । घटना के संबंध में पुलिस वाले मुझसे पूछताछ किये थे ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री विजय केशरवानी अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी

04. यह कहना सही है कि मुझे माननीय न्यायालय से गवाह देने हेतु कोई समंस नहीं मिला है । यह कहना सही है कि मैं शिवकुमारी साहू के कहने से उक्त दावा प्रकरण में साक्ष्य देने हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ । यह कहना सही है कि मेरे चाचा शिवकुमार साहू

मोटरसायकल चला रहे थे उनके गाड़ी का पूरा नंबर याद नही है । साक्षी स्वतः कहता है कि मुझे बहुत दिन हो गया इसलिये याद नही है । साक्षी अब कहता है कि सिर्फ 04 ही याद है ।

05. यह कहना सही है कि दुर्घटना के समय मेरे चाचा सुरेश कुमार साहू हेलमेट पहना था । यह कहना सही है कि मैं घटना होते हुए नहीं देखा हूँ तथा घटना की जैसे ही आवाज आयी मैं घटना स्थल पर आ गया था । साक्षी स्वतः कहा कि घसीटते हुए मैं देखा हूँ । यह कहना सही है कि उक्त घटना की FIR मेरे द्वारा नहीं कराया गया है । यह कहना गलत है कि पुलिस द्वारा मुझसे उक्त घटना के संबंध में पूछताछ कर बयान नहीं लिया गया है ।

06. यह कहना गलत है कि मृतक सुरेश साहू मेरे चाचा थे तथा आवेदिका शिवकुमारी मेरी चाची है तथा दुर्घटना के परिणाम स्वरूप उन्हें क्षतिराशि की प्राप्ती हो जाये इसलिये मैं न्यायालय में सही बा नहीं बता रहा हूँ । यह कहना सही है कि मैं घटना होते हुए नहीं देखा हूँ । साक्षी स्वतः कहता है कि जैसे ही घटना घटी मैं तत्काल वहां पहुंचा हूँ । यह कहना सही है कि मैं घटना नहीं देखा हूँ इसलिये मैं यह नहीं बता सकता कि किसकी गलती से उक्त घटना घटित हुई है।

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

सही/–
(सतीश कुमार जायसवाल)
अतिरिक्त मो.दु.दा. अधिकरण
भाटापारा (छ.ग.)

मेरे निर्देशन में टंकित।

सही/–
(सतीश कुमार जायसवाल)
अतिरिक्त मो.दु.दा. अधिकरण
भाटापारा (छ.ग.)